

16/12/2022

पडावली पैश उई। वडुलाय कृतीन उपण उतीकादी
की ओर से पठाव पैश नही, जवाब का अपसर
बंद दिया जाता है, उभयपक्षा की कक्ष
सुनी गयी। उक्त आवेदन के संबंध में
वाक्यस्त आराजी संयुक्त डब्ला-कमर
की पैठक आराजी है अतः आस्था
स्वगत आदेश दिया जाना न्यायालय
न्यायोचित नही समझता है
अतः आराजी का आवेदन खारिज
दिया जाता है, पडावली कौलस अफार
इनर दायित्व दफतर की।

रमेश
सहायक कलमक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाइबेरो